

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 146/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मेन्दो देवी पत्नी स्व. केसराराम जाति मेघवाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0।

-वादीया

बनाम

राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादी

उपरिथत:- श्री रामनिवास शर्मा वकील-वादीया
राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 26-04, 2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 3 एस.पी.एम.ए. के खाता संख्या 14/14 के पत्थर नम्बर 217/430(56) के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20, 21/1, 22/2, 23/1 की कुल 3.7200 हैक्टेयर में से 1/5हिस्सा कृषि भूमि व चक नम्बर 24 आर.डब्ल्यू.डी.ए. के खाता संख्या 15/11 के पत्थर नम्बर 222/427(11) के किला नम्बर 5 ता 8, 13, 14, 15/2 की 1.5810 हैक्टेयर में से 1/5हिस्सा कृषि भूमि जो वर्तमान में केसराराम पुत्र ख्यालीराम के नाम दर्ज है उसके स्थान पर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26-04, 2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

